प्रेस नोट, जनपद –जालौन
दिनांक –23.08.2023

थाना रेंढर पुलिस एवं नायब तहसीलदार द्वारा गैंगस्टर व खनन माफिया राजीव कुमार दुबे, शिवेंद्र सिंह , इंसाफ खान , नरेंद्र कुमार , संजीव कुमार की अवैध खनन आदि आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई चल सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत कुल 3,20,00,000/- रूपये (3.2 करोड़ रुपये) रूपये को कुर्क/जब्त किया गया ।

संक्षिप्त विवरण – थाना माधौगढ़ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 142/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट जिसमें अभियुक्तगण राजीव कुमार दुबे पुत्र रामगोपाल निवासी कुचलिया थाना बेबर जनपद मैनपुरी , शिवेंद्र सिंह पुत्र अहिवरन निवासी ग्राम अलीपुरा तिर्वा रोड सौरिख जनपद कन्नौज, इंसाफ खान पुत्र फैय्याज निवासी दलेल नगर अजीतमल जनपद औरैया , नरेंद्र कुमार पुत्र सत्यवीर सिंह एवं संजीव कुमार पुत्र राधेश्याम निवासीगण रामपुरा थाना ऊसराहार द्वारा आर्थिक-भौतिक लाभ हेतु अवैध तरीके से गैंग बनाकर अवैध खनन में संलिप्त होकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिसके संबन्ध में थाना माधौगढ़ पर मुकदमा अपराध संख्या 142/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम राजीव कुमार दुबे आदि 05 नफर उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया । गैंगस्टर उपरोक्तगण के विरूद्ध संपत्ति जब्तीकरण की धारा 14(1) की कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा आदेशित किया गया था।

जिलाधिकारी जालौन के आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में क्षेत्राधिकारी माधौगढ़, नायब तहसीलदार व थाना प्रभारी रेंढर द्वारा थाना माधौगढ़ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 142/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में संलिप्त अभियुक्तों द्वारा अवैध गतिविधियों से अर्जित की गयी संपत्ति कीमत करीब 3,20,00,000/- रूपये (3.2 करोड़ रुपये) के जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

अभियुक्तगण एवं जब्त की गयी सम्पत्ती का विवरण-

1. तीन ट्रक 1-UP 74 AT 8448 2- UP 74 AT 7640 3- UP84 T 9139 वाहन स्वामी शिवेंद्र सिंह पुत्र अहिवरन सिंह निवासी ग्राम अलीपुरा तिर्वा रोड सौरिख कन्नौज
2. दो ट्रक 1- UP 84 T 7093 2- UP 75 AT 7514 वाहन स्वामी संजीव कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी रामपुरा थाना ऊसराहार इटावा
3.UP 79 T 9841 ट्रक वाहन स्वामी इंसाद खान पुत्र फैयाज्ज खान निवासी दलेल नगर अजीतमल औरैया
4.UP 84 T 7093 ट्रक वाहन स्वामी राजीव कुमार दुबे पुत्र रामगोपाल निवासी कुचलिया थाना बेवर मैनपुरी
5.UP 75 AT 8063 ट्रक मालिक नरेंद्र कुमार पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी रामपुरा थाना ऊसराहार इटावा

उपरोक्त पांच अभियुक्तगण से **कुल 3,20,00,000/- रूपये** की सम्पत्ती जब्त की गयी।

कुर्क करने वाली टीम-

क्षेत्राधिकारी माधौगढ मय टीम
नायाब तहसीलदार
थानाध्यक्ष रेंढर मय टीम